



उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 31AC 632109
 लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी
 द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, सीमा पत्नी श्रीपाल आयु 39 वर्ष, जो म०नं० 604, गौतमपुरी चमारान,
 वादरी, तह० वादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र० का/की निवासी हूँ और उपरोक्त
 निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पत्र निम्नलिखित
 कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं राष्ट्रीय नौ जवान दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रही हूँ।
2. मेरा नाम 13, गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र० में भाग सं० 166 के क्रम सं० 565 पर प्रविष्टि है।
3. मेरा सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 09310771874 है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) लागू नहीं होता है।

— स्वीया —



13 गौतम बुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिस द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

भाग-क
मैं, सीमा, **पुत्र/पुत्री/पत्नी, क्षीयाल
आयु 30 वर्ष, जो स.नं. 604 गौतम बुद्ध नगर नगरपालिका, गौ. नगर (डाक का पूरा पता लिखें) की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

(1) मैं शहीद जवान दल (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रही हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 13 गौतम बुद्ध नगर, 30.9 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 166 के क्रम सं. 565 पर प्रविष्टि है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 09210771874 है / हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) तो लार नही होता है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :-

क्रम सं०	नाम	पैन (PAN)	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं	CBAPS1507P	लार नही	लार नही
2	पति या पुत्री	AYRPP5202H	लार नही	लार नही
3	आश्रित-1	लार नही	लार नही	लार नही
4	आश्रित-2	लार नही	लार नही	लार नही
5	आश्रित-3	लार नही	लार नही	लार नही

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। लार नही

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :- लार नही

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। लार नही

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लार नही होता
-----	--	--------------

सीमा

(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और, अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होगा
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होगा
(घ)	न्यायालय जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होगा
(ङ)	तारीख(तारीखें), जिनको आरोप दिये/दिए गए थे	लागू नहीं होगा
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होगा

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (पूर्वोक्त मद(1) में वर्णित मामलों से भिन्न)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होगा
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होगा
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्योरे	लागू नहीं होगा

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निम्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है। **लागू नहीं होगा**

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) : **लागू नहीं होगा**

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होगा
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	लागू नहीं होगा
(ग)	अविरोधित दंड	लागू नहीं होगा
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हाँ, तो अपील के ब्योरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होगा

(7) मैं, स्वयं मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आश्रितियों (जंगम और स्थावर आदि) का विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ :-

अ-जंगम आश्रितियों के ब्योरे :-

(टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्यामत्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर आश्रितियों का विवरण भी दिया जाए।

खोन्ना

2. जमा/विनिधान के मामले में कम सं०, रकम, जमा तिथि, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम तथा शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध-कंपनियों की दशा में बंधपत्रों/शेयरों डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक् तथा दिए जाने हैं।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	रु० लाख	पचास हजार	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्योरे (नियत जमा, आबधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें दधत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सहकारी समितियों में जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	पञ्जाब नेचुनल बैंक कादरी (कॉमर्स) का खाता नं० 4103000100272324 से मुल्य 24 लाख 7 हजार 415 रु० इन्डियन स्टेट बैंक में जमा	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में दधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्योरे और रकम	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाकघर बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्योरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखती में विनिधान और रकम	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(v)	किसी व्यक्ति अथवा इकाई जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (निर्माण, पंजीकरण सं० आदि, कय का वर्ष का विवरण तथा रकम)	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(vii)	जेवरात, सोने-चाँदी तथा मूल्यवान वस्तु(वस्तुएँ) (वजन तथा मूल्य का विवरण दें)	रु० लाख सोने 2.00 लोहे चाँदी	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(viii)	किसी अन्य आस्तियों जैसे-दावों/हित का मूल्य।	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०
(ix)	समग्र कुल मूल्य	71000/रु०	41 हजार रु०	ला० रु०	ला० रु०	ला० रु०

/सीमा/

आ- स्थावर आस्तियों का विवरण :-

(टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर सम्पत्तियों भी दर्शाई जायें।
2. इस फॉर्मेट में प्रत्येक भू-खण्ड या भवन या अपार्टमेंट का पृथक रूप से उल्लेख करें।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं) क्षेत्रफल(एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	नगर-कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं) क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	12.00 वर्ग फुट 5.50 वर्ग फुट कुल 17.50 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हो या नहीं)	लागू नहीं	60 वर्ग फुट कुल 17.50 वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं	18.00 वर्ग फुट कुल 17.50 वर्ग फुट 05-01-2002 में खरीदा था	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	10 लाख रुपये में खरीदा था	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	60 लाख रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं) क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीमा

	निर्मित क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	3600 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हाँ या नहीं)	लागू नहीं	60 वर्गफुट का प्लॉट सरत 52 फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं	5-11-2002	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	दो लाख रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	60 लाख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंटों सहित) अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	लागू नहीं	तीन फ्लैट्स कमल रोड राऊन जेम्स दादरी क्रिडा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	1200 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं	3600 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हाँ या नहीं)	लागू नहीं	60 वर्गफुट का प्लॉट सरत 52 फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	लागू नहीं	5-11-2002	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	दो लाख रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	साठ लाख रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	62 लाख रुपये सरत 52 फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(3) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शीघ्रों के बारे में विवरण निम्नानुसार देती/देती हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्थान, निकाय या व्यक्ति का नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के व्योरो का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(1)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं) के ऋण या शीघ्र बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, दायता रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सही

	पूर्वाक्त वर्णित से निम्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम बढ़ाया रकम ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आयात से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल की आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर्स सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रय कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्दलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजिविका के बारे में

क. स्वयं गृहणी

ख. पति या पत्नी सर्विस

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

डुकर पाल स्कूल - जनता इन्टर काकीग
रोज माध्यमिक वर्ष 1993 इलाहाबाद

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ उच्चतम स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण दें)

(उत्त स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया।)

रानीमा

भाग ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्योरो का उद्धरण :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमारी सीमा				
2.	डाक का पूरा पता	म. नं० 604 मो. गोलमपुरी-चमारान दादरी ल. दादरी जि. गोलमपुरी				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	13, गोलमपुरी, उत्तर प्रदेश				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	राष्ट्रीय नौ जवान दल				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं होगा				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या, जिनमें सिद्ध दोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	लागू नहीं				
7.	का स्थायी लेखा संख्या (PAN No.) C-3AP57507P	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	लागू नहीं	लागू नहीं			
	(ख) पति/पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं			
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होगा	लागू नहीं			
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्योरे रुपये में					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii) क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास / सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीमा ✓

	(iii)	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(क) स्वर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.		दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : <u>इंटरमीडिएट स्कोल का नाम - अनन्ता इन्टर कालिज रोड फाथपुरा - इलाहाबाद वर्ष 1993</u> (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण दें) (उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद सं 5 और 6 में उल्लिखित दोष सिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोष सिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 20-3-2014 को सत्यापित किया गया।

ATTESTED

(Signature)

(Signature)

अभिसाक्षी

नोट:-

1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की शर्तों के अनुसार अधिकतम 3.00 बजे अपराह्न तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के नजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो या 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।

Naresh Kumar
Collectorate G.B. Nagar

नोट 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) वर्ष 2008 की सं० 121-रितरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य एवं दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। मा० न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है, जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए :-

मेरा टेलीफोन नं० 09310771074 है/हैं।

मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) NA है।

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) NA है।

रसीद